निविदा प्रपत्र क्रमांक ....

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इंदौर (म.प्र.)

विज्ञापन क्रमांक 06 दिनांक 05.01.2018

योजना क्रमांक 78–प्रथम निरंजनपुर फेस–2 के 10 आवासीय उपयोग के भूखंडों हेतु निविदा प्रपत्र

"जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है"

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

निविदा दस्तावेज (Tender Document)

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

{ नियम 6 (चार) देखिए }

विज्ञापन क्रमांक 06 **दिनांक 05.01.2018**

निविदा दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :
भाग एक : सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र
भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार : निविदा प्रपत्र

भाग–1 सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश (Instructions for Submission of Tender for Property) (दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 06 दिनांक 05.01.2018 के संदर्भ में भूखण्डों (Plots) के आवंटन हेतु, इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव निर्धारित की गई निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

एकः निविदा तथा सम्पत्ति के आवंटन बाबत पात्रता (Eligibility for Tender and Allotment of Property)

1. विज्ञापन में दर्शाई गई प्रत्येक सम्पत्ति की निविदा की प्रस्तुति हेतु केवल एक निविदा प्रपत्र ही लागू होगा।
2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता (Tenderder) विज्ञापन में दर्शाई गई एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु निविदा लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक् निविदा प्रपत्र क्रय करने होंगे।
3 ऐसे इच्छुक निविदा प्रस्तुतकर्ता, जो वैबसाईट से बोली प्रपत्रों को डाऊनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए निविदाएं प्रस्तुत की जा रही है, बोली दस्तावेज शुल्क के लिये सम्पत्तियों के लिये पृथक् प्रपत्र के साथ पृथक् निविदाएं प्रस्तुत की जाएंगी।
4. किसी अवयस्क (Minor) द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को मान्य नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
5. कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित की जा चुकी हो, उसे किसी श्रेणी के लिये आरक्षित किसी अन्य सम्पत्ति हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

दोः निविदा दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया (Procedure for Submission of Tender Documents)

1. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी निविदाएँ द्वि–लिफाफा पद्धति (Two Envelope System) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। {**"लिफाफा ए–पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)"** निविदा को प्रक्रिया बद्ध करने और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुती के लिये तथा "**लिफाफा बी– निविदा लिफाफा (Envelope B-Tender Envelope)**" विहित निविदा प्रपत्रों में निविदा की प्रस्तुति हेतु।
2. उनके लिए, जो प्राधिकरण से निविदा प्रप्रत्रों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा तीन अलग–अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे जिन्हें **"लिफाफा ए–पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)", "लिफाफा बी– निविदा लिफाफा (Envelope B-Tender Envelope)" तथा तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) {Third Envelope (Cover Envelope)}** के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
3. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की वैबसाईट से डाऊनलोड किया हो तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बन्द किया जा

सके तथा इन्हें **''लिफाफा ए–पात्रता लिफाफा'', ''लिफाफा बी–निविदा लिफाफा''** तथा **आवरण लिफाफा (Cover Envelope)** अंकित करते हुए प्रत्येक लिफाफे पर नाम, **विज्ञापन क्रमांक 06 दिनांक 05.01.2018 तथा योजना क्रमांक 78–प्रथम निरंजनपुर फेस–2 में आवासीय सम्पत्ति के अन्तर्गत भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा''** दर्शाते हुए इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाएगा।

4. इच्छुक व्यक्तियों को लिफाफा ए तथा लिफाफा बी में, निम्न रूप से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार जानकारी प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बन्द करने की अपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी को आवरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद (सील) किया जाएगा।

तीनः निविदा की वैधता, निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) का समपहरण (Validity of Tender, Security and Forfeiture of Tender Security)

1. निविदाएँ, निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 90 दिवस तक वैध रहेंगीं।
2. **निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को विज्ञापन के तालिका के क्रमांक 09 में उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी)** इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष मे बैक ड्राफ्ट अथवा पे–आर्डर के रूप मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्य किसी भी रूप में (अर्नेस्ट मनी) निविदा प्रतिभूति मान्य नही होगी।
3. अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएँ स्वीकार न की गई हों, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) निविदा लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तथा जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा निविदा दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) समपहृत कर ली जाएगी।

चार : प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख (Information/Documents to be Provided)

<u>लिफाफा ए–पात्रता लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)</u>

1. ऐसे प्रकरण में जहां निविदा–प्रपत्र को प्राधिकरण की वैबसाईट से डाऊनलोड किया गया हो, या निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा दस्तावेज शुल्क (Tender Document Fee) (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर इन्दोर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, अथवा जहां निविदा प्रपत्र यूनियन बैंक आफ इंडिया प्राधिकरण भवन शाखा से क्रय किया गया हो वहां निविदा दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगी ।
2. **निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) हेतु विज्ञापन के तालिका क्रमांक 09 में उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) राशि का इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप मे संलग्न करना होगा ।**

3 अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे।

अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु (For Individual/Joint Applicants)

(एक) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ–पत्र जिसमें निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, **(यदि यह लागू हो)** स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो

(दो) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ–पत्र (Affidavit) **(भाग–दो)**।

(तीन) सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र (यदि किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो)। जहां आरक्षित श्रेणी के भूखण्डों हेतु निविदाएँ को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत निविदाएँ को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होगे । **निविदादाता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया पाया गया तो संपूर्ण जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।**

सरल	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

क्रमांक		
1	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
5	सैनिक/भू.पू.सैनिक	सैनिक कल्याण बोर्ड
6	विकलांग	जिला मेडिकल बोर्ड/ सिविल सर्जन/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
7	इं.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा. से जारी वर्तमान मे कार्यरत का प्रमाण पत्र
8	बुद्धीजीवी/श्रमजीवी/पत्रकारो कलाकारो के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
9	महिला आरक्षण	

(चार) सम्पत्ति हेतु निविदा के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग–एक)** और सम्पत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन एवं शर्तें **(भाग–तीन)**

(पांच) निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड/पेनकार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी।

(छः) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए)

ब. किसी विधि के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था/इकाई हेतु (For Company/ Firm/Entity registered under any Law)

(एक) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प की प्रति।

(दो) निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र **(भाग–दो)** के अनुसार शपथ–पत्र ।

(तीन) इकाई के निगमन (incorporation) संबंधी प्रमाण नियमावली संबंधी (ज्ञापन–पत्र)/भागीदारी विलेख (Partnership Deed)/न्यास विलेख (Trust Deed)/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख आदिद्व (Documents of Registration of Society, etc)

(चार) संपत्ति के लिये निविदा की प्रस्तुती हेतु निर्देशो की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग–एक)** तथा संपत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्ते **(भाग–तीन)**

(पांच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए)

4. वांछित अर्हकारी जानकारी/अभिलेखों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत निविदाएँ को अस्वीकार किया जाएगा। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार के अनुसार भी किसी भी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह अभिलेखों के सत्यापन/ उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि करने बाबत और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।

5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer)/ निविदा से संबंधित कोई जानकारी सम्मिलित नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव/निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

लिफाफा 'बी'– निविदा लिफाफा (Envelope B-Tender Envelope)

लिफाफा 'बी' में केवल निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र में सम्मिलित होगी । **(भाग–चार)।**

पांचः निविदा प्रस्तुति की अन्तिम तिथि तथा निविदा प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया (Tender Due Date and Opening of Tenders)

1. निविदाएँ को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष क्रमांक 104/105/106 में सम्पदा अधिकारी वर्ग–2 के समक्ष दिनांक **29.01.2018 सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।**
2. निविदाओं को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष क्रमांक 104/105/106 में सम्पदा अधिकारी वर्ग–2 के समक्ष दिनांक **30.01.2018 प्रातः 11.30 बजे खोला जाएगा।**
3. निविदा खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे (eligibility envelope) को ही खोला जाएगा तथा प्राधिकरण निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परीक्षण करेगा।
4. अभिलेखों के परीक्षण के बाद, केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफों को उसी समय खोला जाएगा।

ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जो निविदा लिफाफों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे निविदा खोलने के समय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

छहः उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता की घोषणा (Declaration of Highest Tenderder)

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य से नीचे प्रस्तुत की गई दरों पर निविदाएँ को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. सामान्यतः, ऐसे उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, निविदा लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए चयनित निविदा प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा ।
3. प्रस्तुत की गई निविदाएँ का अंतिम परिणाम निविदा लिफाफा खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना–पटल के साथ–साथ प्राधिकरण की वैबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण के पास किसी भी निविदा/समस्त निविदाएँ को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

सातः पते में परिवर्तन तथा निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना (Change of Address and Tracking of Tender) एवं संपत्ति का भौतिक सत्यापन ।

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता से पत्र–व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में संसुचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/वैबसाईट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व भूखंड/भूखंडों का भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करे । निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नही होगी ।

भाग–दो : शपथ–पत्र हेतु प्रपत्र (Format for affidavit)
(सील बंद लिफाफे 'ए' : पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ–पत्र को रूपये 100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर विधिवत नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ–पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूं कि :

मेरा नाम	: ....
पिता/पति का नाम	: ....
पता	: ....
व्यवसाय	: ....
आयु	: ....
वार्षिक आय	: ....

2. यह कि मैं ––––––––––––––– (नाम) –––––––––––––––––––––––– (निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार, –––––––––––––––––––– की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है **(ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है)।**

3. यह कि मैं ––––––––––––––––––– नाम ––––––––––––––––––––––––– (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ–पत्र के अनुसार मेरी ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूं **(ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रस्तुतकर्ता की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)**

4. यह कि मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति आबंटित नहीं की गई है **(ऐसे प्रकरण में लागू जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।**

5. यह कि निविदा के अन्तर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

6. यह कि मैंने निविदा संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को भलीभांति समझ लिया है तथा ये निबन्धन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

7. यह कि यदि निविदा के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत /दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् इस निविदा के अन्तर्गत आवंटित की गई सम्पत्ति से संबंधित पट्टे (लीज) को भी रद्द करने का अधिकार होगा।

8. यह कि यह शपथ–पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् संपत्ति/भूखंड कमांक ––––––––– के आबंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है

दिनांक :

....

अभिसाक्षी

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, ... पिता/पति श्री ....सत्यापित करता हूँ/करती हूँ, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न ही इसमें कुछ छिपाया गया है। यह सत्यापन आज दिनांक –––––––––––––––––– को किया गया।

....

अभिसाक्षी

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ–पत्र में शामिल न करें।

2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारुप में प्रस्तुत किया गया शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा।

भाग–तीनः सम्पत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
(Terms and Conditions for Allotment of Property)
(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत की जाए)

एकः भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता (Tenderder) को निविदा की स्वीकृति के बाद आरक्षण–पत्र/मांग–पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुल उद्धरित (quoted) अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रथम प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि (निविदा प्रतिभूति राशि/अर्नेस्ट मनी के समायोजन पश्चात) जमा करनी होगी।
2. उक्त राशि जमा उपरांत द्वितीय प्रारभिंक 25 प्रतिशत राशि आरक्षण पत्र जारी दिनांक से 4 माह की समयावधि मे जमा कराई जानी होगी ।
3. सफल प्रस्तुतकर्ता को निविदा की स्वीकृति के बाद आरक्षण/मांग–पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर एक वर्ष की अवधि की अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा रूपये 1,000/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
4. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रारंभिक 50 प्रतिशत (प्रथम 25 + द्वितीय 25 प्रतिशत राशि) राशि एवं एक वर्ष का अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा अनुबन्ध–पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
5. जहां सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध मे उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो विनियम की कंडिका 8 (3) अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि देय अधिमूल्य राशि पर 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगी ।
6. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर निविदा प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने मे असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा बोली प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत कर सकेगा।
7. आवंटिती (Allottee)/हस्तांतरिती (Transferee) द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि के अवशेष 50 प्रतिशत भाग का भुगतान 12/20 त्रैमासिक बराबर किस्तों में 3/5 वर्षों की समयावधि के भीतर (जो पांच वर्षों से अधिक न होगी) 10/10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से किया जाएगा।
8. जहां राशि का भुगतान किश्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार किश्तों का भुगतान न किए जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा ग्राही के आवंटन को निरस्त किया जावेगा ।
9. 6 से अधिक मासिक किश्तें तथा 2 से अधिक त्रैमासिक किश्तों का भुगतान न करने की स्थिति में आवंटिती को किया गया आवंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. आवंटन को पुर्नजीवित किये जाने हेतु विनियम की कंडिका 9 अनुसार पुनर्जीवित किया जा सकेगा ।
11. पांच वर्षों की अवधि के बाद भुगतान बकाया कोई राशि लंबित होने पर चूककर्ता को आवंटन की तारीख से 5 वर्ष की समयावधि पर बकाया शेष राशि पर ब्याज प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा।
12. तथापि, यदि समस्त किस्तों का भुगतान, आवंटन तिथि से 7 वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, प्राधिकरण द्वारा आवंटन रद्द कर दिया जावेगा इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण, ऐसे आवंटन रद्द किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 25 प्रतिशत राशि के बराबर राशि राजसात कर ली जावेगी । तथा शेष मूलधन विनियम की कंडिका 9 अनुसार लौटा दी जाएगी।
13. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

14 यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढे हुवे क्षैत्रफल की प्रीमियम की राशि तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि की गणना विनियम की कंडिका 18 (एक–अ) अनुसार की जावेगी ।

15 यदि किसी विशिष्ट भूमि का पट्टाधारी उसे आवंटित किये गये भूखण्ड से अनुलग्न भूमि(appurtenant land) के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने विनियम की कंडिका 23 अनुसार आवंटन करेगा ।

16 पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/ शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

दोः सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी शर्तें (Terms for Lease Property)

1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जाएगा जिनकी कालावधियों का विस्तार 30 वर्ष की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीकरण के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
2. **सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रथम वर्ष के लिये रूपए 30.00 प्र.व.मी. एवं आगामी वर्ष हेतु रूपए 6.00 प्र.व.मी प्रभारित किया जाएगा।**
3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष 01 जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष के जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह से अधिक अवधि हेतु लम्बित रहता है वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि की वसूली की प्रक्रिया भू–राजस्व की बकाया रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
5. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है, जहां है के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो)तथा प्राधिकरण भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई/समतलन के लिये उत्तरदायी नही होगा।
6. प्रीमियम (अधिमूल्य) की राशि के 50 प्रतिशत भुगतान के पश्चात भूखंड का कब्जा दिया जा सकेगा, परंतु आवंटी को पट्टे का निष्पादन पूर्ण अधिमूल्य की राशि की प्राप्ति के बाद ही किया जावेगा ।
7. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, भले ही ग्राही द्वारा सम्पत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
8. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lessee) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पट्टे का पंजीकरण कराना होगा। पट्टाधारी पट्टा अभिलेख के पंजीकरण से संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी को पट्टे के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तों के अध्यधीन, किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क (Transfer Fees) की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि

को प्रचलित प्रयोज्य निर्देशक दर (इन्दौर कलेक्टर गाईड लाईन) (Applicable Guideline Rate) के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जहां हस्तातांतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन (natural devolution of heirship) के दौरान चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय न होगा।

10. पट्टाधारी, पट्टा विलेख के पंजीयन के उपरान्त प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड पर निर्माण कार्य के प्रयोजन से ऋण प्राप्ति हेतु भूखण्ड (प्लाट) को बंधक (mortgage) रख सकेगा जिस हेतु उसे निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।
11. पट्टाधारी, जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
12. ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करता हो, वहां प्राधिकरण सम्पत्ति के पट्टे को रद्द कर सकेगा। पट्टे के निरस्तीकरण पर प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनर्प्रवेश का अधिकार सुरक्षित होगा।

तीनः आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में नामोद्दिष्ट उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. पट्टाधारी को नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (Planning Permission) (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो),तथा इन्दौर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा उस प्राधिकारी की जो भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हो, स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर, तंद्नुसार कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके नामोद्दिष्ट उपयोग से पृथक् होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न की जाती है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में, पट्टाधारी को किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
4. पट्टाधारी के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
6. प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के आधिपत्य के सौपे जाने की तारीख से 4 वर्ष के भीतर स्वीकृत नक्शों के अनुसार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करना आज्ञापक होगा। प्राधिकरण पट्टाधारी के अनुरोध पर ऐसी अवधि में वृद्धि, वृद्धि के प्रत्येक वर्ष के लिए उस पर निम्न तालिका अनुसार अर्थदण्ड (compounding fees) (जो रूपए 10,000 से अधिक न होगा) के साथ अधिपत्य प्रदान करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि पूर्ण करने के अध्यधीन अधिरोपित कर सकेगा।

अ.क्र.	संपत्ति का विवरण	प्रति वर्ष राशि रूपये मे
1	कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस)	3000
2	आवासीय संपत्ति	5000
3	व्यवसायिक एंव अन्य संपत्ति	10000

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

अधिपत्य प्रदान करने की तारीख से छह वर्ष की पूर्णता पर यदि पट्टाधारी ने अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्रफल के न्यूनतम **दस प्रतिशत** भाग पर निर्माण कार्य पूर्ण न किया गया हो, तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे पट्टाधारी पर रूपए 1000 प्रति दिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा जब तक कि ऐसा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता।

चारः आवंटन का अंतरण (Transfer of Allotment)

संपत्ति के आवंटन का अन्तरण संपत्ति की आवंटन की तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के उपरांत ही किया जा सकता है । आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित की गई संपत्तियों के बारे में, अंतरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता रखता हो जिस हेतु उक्त संपत्ति को पूर्व में आरक्षित थी अंतरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अंतरण तारीख को प्रचलित प्रयोज्य कलेक्टर गाईड लाईन दर (applicable guideline rate) इनमें से जो भी अधिक हो, की एक प्रतिशत दर से भुगतान योग्य होगा ।

पॉच : अन्य निबन्धन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

1. यदि निविदा के निबन्धनों तथा शर्तों में तथा ''मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम 2013'' एवं विनियम के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उदभूत होती है तो पश्चातवर्ती उपबन्ध अभिभावी होगे तथा पट्टेदार पर बन्धनकारी होगे।
2. यदि योजना के अन्तर्गत कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया हो, निविदा प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये बन्धनकारी होंगी।
3. आबंटन/पट्टे के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द **''प्राधिकरण (Authority)''** उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशिती (Permitted assignees) भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द ''पट्टाधारी (Lessee)'' उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

छः : विशेष शर्तें (Special Conditions)

1. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग–एक भाग–दो तथा भाग–तीन निविदा दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को भाग– एक, भाग–दो तथा भाग–तीन के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लिफाफा ''ए पात्रता दस्तावेज''में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वैबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी निविदा दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन निविदा प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में हैं। यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से निविदा प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा।

दिनांक ....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ——————————————

भाग चार : निविदा प्रपत्र (Tender Form)

आवासीय भूखण्ड हेतु निविदा प्रपत्र (इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 06 **दिनांक 05.01.2018**

निविदा प्रपत्र क्रमांक ....
मूल्य रूपये 500/–
अहस्तान्तरणीय (Not Transferable)

प्रति,
सम्पदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी,
इन्दौर (मध्य प्रदेश)

निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम ....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

महोदय,

आपके **विज्ञापन क्रमांक 06 दिनांक 05.01.2018** के संदर्भ में, जो **योजना क्रमांक 78–प्रथम निरंजनपुर फेस–2 आवासीय उपयोग** के अंतर्गत भूखण्ड के आवंटन के लिए मैं/हम मेरी/हमारी निविदा पट्टे (लीज)/भूमिस्वामी अधिकारों के आधार पर तथा मैं/हम प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा प्रपत्रों सभी निबन्धनों तथा शर्तो से आबद्ध होने की सहमति व्यक्त करता हूं/करते हैं। इस निविदा प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में भूखण्ड के आबंटन हेतु प्रस्तुत चाहता हूं/चाहते हैं। मैं/हम पूर्णतया विधिवत स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज के समस्त निबन्धनों तथा शर्तों को पढ़ लिया गया है, स्पष्टतया समझ लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु अपनी/हमारी सहमति व्यक्त करता हूं/करते हैं, जो प्राधिकरण की निविदा–प्रक्रिया तथा भूखण्ड के आबंटन की शर्तों तक सीमित न होकर, उसे सम्मिलित करते हुए होंगे। मैं/हम यहां पर इस निविदा के साथ निबन्धनों तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूं/रहे हैं। मैं/हम अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूं /रहे हैं :

आवेदक के मूल ब्यौरे :

01	निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम (यदि निविदा कम्पनी /फर्म/किसी अन्य इकाई के नाम से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें)	1. .... 2. .... (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में) 3. .... (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में)
02	निविदा प्रस्तुतकर्ता संस्था/कम्पनी के निदेशक /निदेशकों/का नाम (कम्पनी/संस्था/किसी अन्य इकाई के प्रकरण में)	....
03	निविदा प्रस्तुतकर्ता के पिता/पति का नाम	....
04	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता दूरभाष/मोबाईल ई–मेल पता	.... (कार्यालय) .... (निवास) ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

हमने यह निविदा प्ररूप यूनियन बैंक आफ इंडिया, प्राधिकरण भवन शाखा द्वारा जारी रसीद क्रमांक .... दिनांक .... के माध्यम से प्राप्त किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)। हमारे द्वारा यह निविदा प्ररूप प्राधिकरण की वैबसाईट से डाऊनलोड किया गया है तथा निविदा प्ररूप के मूल्य स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक .... दिनांक .... **राशि रूपये (अंको मे) .... लाख (अक्षरी रूपये ....) रूपये लाख** लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।

मैं/हम इस निविदा को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे हैं कि मेरी/हमारी निविदा इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिन तक की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

मैं/हम अपनी निविदा के संबंध में निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी), के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक ....दिनांक .... **रूपये (अंको मे) .... लाख (शब्दों में अक्षरी रूपये ....)** (प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा अप्रतिसंहरणीय (Irrevocable) है तथा यदि मैं/हम इसे प्रतिसंहृत करता हूं/करते हैं तो इस निविदा के साथ जमा की गई निविदा **प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपये (अंको मे) .... लाख** समपहृत कर ली जाएगी।

मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में मैं/हम पूर्ण दायित्व लेता हूं/लेते हैं। मैं/हम यह सहमति भी प्रदान करता हूं/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी; जैसी कि आवश्यक हो अथवा निविदा को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत् चाही जाए, मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस निविदा की अर्हताओं के अनुसार इस निविदा के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूं/करते हैं। मुझे/हमें यह भी अवगत है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा यदि मैं/हम भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने का तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समहृत करने का अधिकार होगा।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि प्राधिकरण इस निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमन्त्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी निविदा को रद्द कर सकता है तथा एतद्द्वारा किसी भी कारण से, भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यजन (waive) का अधिकार रखता है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में, जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं, जो इस निविदा के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी योग्यता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो, जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप–पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड का उपयोग पट्टा विलेख (Lease Deed) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करुंगा/करेंगे। मैं/हम ऐसे पट्टा विलेख के समस्त निबंधनों तथा

शर्तों से सहमति भी व्यक्त करता/करते हैं जिसका निष्पादन भूखण्ड का आवंटन होने पर किया जाएगा जिसमें सम्मिलित है जिस तक सीमित नहीं है वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों हेतु) का भुगतान प्राधिकरण के पट्टे को रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसरण, शुल्क, दरों तथा करों के भुगतान के दायित्व जैसा कि अन्तर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अन्तर्गत सम्पत्ति को लागू हो।

मैं/हम, सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :

सम्पत्ति क्रमांक (अंकों में)	**सम्पत्ति क्रमांक (शब्दों में)**	**निविदा–दर रू. प्रति वर्ग मीटर (अंकों में)**	**निविदा–दर रू. प्रति वर्ग मीटर (शब्दों में)**

मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में, निविदा की कुल राशि का समायोजन तद्नुसार आनुपातिक दर के अनुसार किया जाएगा।

मैं/हम निविदा राशि का अवशेष 50 प्रतिशत भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलंब/चूक किये जाने पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि सम्पत्ति क्रमांक तथा निविदा दरों का रू. प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।

मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि निविदा प्रपत्र में नाम और/सम्पत्ति संख्या में उपरिलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह निविदा प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

भवदीय,

दिनांक : निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

....

स्थान : निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

....

यदि निविदा कम्पनी/संस्था/किसी अन्य संविधान :
के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा
रही हो उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए :

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक : 06 **दिनांक : 05.01.2018**

योजना क्रमांक 78–प्रथम निरंजनपुर फेस–2 में 10 आवासीय उपयोग के भूखण्डों हेतु निविदा आमंत्रण

प्राधिकारी की **योजना क्रमांक 78–प्रथम निरंजनपुर फेस–2** में **10** आवासीय उपयोग के भूखण्ड के लिये न्यूनतम दर से अधिक की निविदाऐं प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका में वर्णित भूखण्डों को पट्टे (लीज) पर व्ययन हेतु आमंत्रित की जाती हैं :–

अ. क्र.	भूखण्ड क्रमांक	भूखण्ड का उपयोग	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.मी. में	आरक्षण श्रेणी	भूखण्ड का आरक्षित न्यूनतम दर रूपये प्र.व.मी. में	वार्षिक पट्टा भाड़ा रूपये प्र. व.मी. में		प्रतिभूमि (अर्नेस्ट मनी) राशि रूपये लाख में
						प्रथम वर्ष	आगामी वर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	365	आवासीय	102.87	सामान्य	15,000/-	30	6	1.50
2	366	आवासीय	100.87	अ.ज.जा.	15,000/-	30	6	1.50
3	367	आवासीय	98.37	अ.पि.व.	15,000/-	30	6	1.47
4	368	आवासीय	96.12	अ.जा.	15,000/-	30	6	1.40
5	369	आवासीय	93.87	अ.पि.व.	15,000/-	30	6	1.40
6	370	आवासीय	91.62	स्व.सं.सैनानी	15,000/-	30	6	1.37
7	371	आवासीय	89.37	सैनिक/भू.पू.सैनिक	15,000/-	30	6	1.34
8	372	आवासीय	87.12	अ.जा.	15,000/-	30	6	1.30
9	373	आवासीय	84.87	प्राधिकारी कर्मचारी	15,000/-	30	6	1.27
10	374	आवासीय	82.75	पत्रकार	15,000/-	30	6	1.24

- इच्छुक व्यक्ति निर्धारित निविदा प्रपत्र **दिनांक 12.01.2018 से दिनांक 27.01.2018** तक 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से (बैंक कार्यालयीन समय मे) रूपये 500/– बैंक ड्राफ्ट/नगद जमा कर क्रय कर सकते है।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि आरक्षण/मांग पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में जमा करना होगी एवं द्वितीय 25 प्रतिशत राशि 04 माह में जमा करना होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 3/5 वर्ष की 12/20 त्रैमासिक किश्तों में 10/10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ भुगतान करने की सुविधा रहेगी ।
- निविदा प्रपत्र को प्राधिकरण की बेवसाइट www.idaindore.org से भी डाऊनलोड किया जा सकता है, जिसमे निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा के साथ निविदा प्रपत्र/दस्तावेज शुल्क भी जमा करना होगा ।
- निविदा प्रस्तुतकर्ता को तालिका के **क्रमांक 9** मे उल्लेखित प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) की राशि का डी.डी./पे–आर्डर भी निविदा के साथ जमा करनी होगी।
- निविदा को प्रस्तुत करने की दिनांक को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्यकारी दिवस को निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी ।
- आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को निविदा प्रपत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व भूखण्डों का भौतिक निरीक्षण कर लेवें । निविदा पश्चात् भूखण्ड संबंधी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।
- निविदा को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि **29.01.2018** सायंकाल 5.00 बजे तक होगी। निविदा अगले कार्यकारी दिवस दिनांक **30.01.2018** को उपस्थित निविदाताओं के समक्ष प्रातः 11.30 बजे खोली जावेगी।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विज्ञापन से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें :–
श्री राजेश उपाध्याय (मार्केटिंग सेल) मो.नं. 98936–99113
श्री लीलाकिशन शाक्यवार, सहायक यंत्री मो.नं. 9755590600, श्री बी.एम. गुप्ता, सम्पदा अधिकारी वर्ग–2 मो.नं. 9425368152

निविदादाता के हस्ताक्षर ....